न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 989 सन 2021

अनवान :–

1. राजकुमार पुत्र कालुराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र कालुराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर।
2. शान्ति पत्नी स्वर्गीय कालुराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर।
3. शिशपाल पुत्र कालुराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री विजय कुमार कडवासरा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 27/09/2024

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा ढण्ढेला बारानी के खताा संख्या 11/255 की कुल 4.7680हैक में से 10/384 हिस्सा व खाता संख्या 82/71 की कुल 13.4560हैक मे से 2/16 हिस्सा , चक 14 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 18/21 की कुल 2.7830 में से 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा गणपतराम वल्द रावतराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा गणपतराम वल्द रावतराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र कालुराम के नाम दर्ज हुई जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज हुई है।

प्रतिवादी संख्या 1 वादी का भाई है एवं प्रतिवादी संख्या 2 वादी की माता है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की भूमि तहसील नोहर एवं तहसील संगरिया है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है प्रतिबादी संख्या 1 ,2 संगरिया निवास करते है एवं वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 नोहर में निवास करते है इसलिये वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 को नोहर तहसील एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 को संगरिया की भूमि प्राप्त हुई उसी के अनुसार काश्त करते आ रहे है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में उनके पूर्वज के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज हुई वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने आपसी सहमति से बाद भूमि का विभाजन कर दिया जिनके अनुसार तहसील नोहर की भूमि वादी एवं प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

संख्या 1 को प्राप्त हुई थी उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ढण्ढेला बारानी के खताा संख्या 11/255 की कुल 4.7680हैक में से 10/384 हिस्सा व खाता संख्या 82/71 की कुल 13.4560हैक मे से 2/16 हिस्सा , चक 14 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 18/21 की कुल 2.7830 में से 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा गणपतराम वल्द रावतराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा गणपतराम वल्द रावतराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र कालुराम के नाम दर्ज हुई जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज हुई है।

प्रतिवादी संख्या 1 वादी का भाई है एवं प्रतिवादी संख्या 2 वादी की माता है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की भूमि तहसील नोहर एवं तहसील संगरिया है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है प्रतिवादी संख्या 1 ,2 संगरिया निवास करते है एवं वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 नोहर में निवास करते है इसलिये वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 को नोहर तहसील एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 को संगरिया की भूमि प्राप्त हुई उसी के अनुसार काश्त करते आ रहे है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढण्ढेला बारानी के खताा संख्या 11/255 की कुल 4.7680हैक में से 10/384 हिस्सा व खाता संख्या 82/71 की कुल 13.4560हैक मे से 2/16 हिस्सा , चक 14 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 18/21 की कुल 2.7830 में से 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम सें दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि गणपतराम वल्द रावताराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज हुई है।

वादी का कथन है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है जिनकी भूमि तहसील नोहर एवं तहसील संगरिया में है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है जिसके अनुसार तहसील नोहर की भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 को प्राप्त हुई और तहसील संगरिया की भूमि प्रतिवादी सख्या 1

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

,2 को प्राप्त हुई है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की बाहमी बटवारा के अनुसार तहसील संगरिया की भूमि उनके नाम दर्ज हो चुकी है तहसील नोहर की भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 के हक हिस्सा की भूमि है अर्थात वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है। तथा एक ही परिवार के सदस्य दो ग्रामों की भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवार कर राजस्व रिकार्ड दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढण्ढेला बारानी के खताा संख्या 11/255 की कुल 4.7680हैक में से 10/384 हिस्सा व खाता संख्या 82/71 की कुल 13.4560हैक मे से 2/16 हिस्सा , भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम तथा चक 14 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 18/21 की कुल 2.7830 में से 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 दोनो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 27/9/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सत्यमेव जयते

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. राजकुमार पुत्र कालुराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 मोहनलाल पुत्र कालुराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर।
2. शान्ति पत्नी स्वर्गीय कालुराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर।
3. शिशपाल पुत्र कालुराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 989 सन 2020 निर्णय दिनांक–

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढण्ढेला बारानी के खताा संख्या 11/255 की कुल 4.7680हैक में से 10/384 हिस्सा व खाता संख्या 82/71 की कुल 13.4560हैक मे से 2/16 हिस्सा , भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम तथा चक 14 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 18/21 की कुल 2.7830 में से 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 दोनो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/09/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सत्यमेव जयते